झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–241 / 2019

नारायण महतो ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ..... विपक्षी पार्टी

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के0 गुप्ता**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री कुमार सुंदरम, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टी के लिए :

03 / दिनांक : 02 अगस्त, 2019

आई0ए0सं0 6282 / 2019

1. यह वादकालीन आवेदन इस सिविल विविध याचिका को दाखिल करने में 91 दिनों की विलंब की माफी हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर किया गया है।

2. सुना। सहायक हलफनामे में बताये गए कारणों से संतुष्ट होकर, जिसमें पर्याप्त कारण और उचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तद्नुसार विलंब की माफी दी जाती है।

3. आई0ए0 सं0–6282 / 2019 की अनुमति है।

सी0एम0पी0 सं0 241 / 2019

1. यह सिविल विविध याचिका एम0ए0 सं0 316 / 2017 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जो 26.10.2018 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के कारण 24.11.2018 को खारिज कर दी गई थी।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एम0ए0 सं0 316/2017 में पारित दिनांक 26.10.2018 के आदेश द्वारा कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सका था। याचिकाकर्त्ता के वकील ने अपने क्लर्क को अदालत की फीस जमा करने का निर्देश दिया, लेकिन गलती से उसे जमा नहीं किया जा सका जिसके कारण अपील खारिज हो गई।

यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता/अपीलकर्त्ता की ओर से कोई सुविचारित कमी या जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई है, बल्कि अधिवक्ता क्लर्क द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अदालत की फीस जमा नहीं की गयी है। याचिकाकर्त्ता/अपीलकर्त्ता के पास एक अच्छा मामला है और यदि एम0ए0 सं0 316/2017 को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्त्ता/अपीलकर्त्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

3. सुना। वर्तमान याचिका में बताए गए कारणों से संतुष्ट होने के कारण, एम0ए0 सं0 316/2017 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

4. विविध याचिका की अनुमति है।

5. कार्यालय को एम0ए0 सं0 316/2017 को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(अमिताव के0 गुप्ता, न्याया0)